

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,  
पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1 / शा० / ९३ / २०१६-१ / ३० / २०१६

लेखनक्र: दिनांक २१ सितम्बर, २०१६

विषय: वित्तीय वर्ष २०१६-१७ अनुदान संख्या-८१ आयोजनागत मद में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत राज्य स्तर से कमश: केन्द्रांश रु० १८.०२ व राज्यांश रु० १२.०१ लाख इस प्रकार कुल रु० ३०.०३ लाख की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, पंचायती राज अनुभाग-३, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-३७/२०१६/२४५९/३३-३-२०१६-१००(१९)/२०१५ दिनांक २० सितम्बर, २०१६ (प्रति संलग्न) के अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अनुदान संख्या-८१ में आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रु०- ३४६.६४ लाख के सापेक्ष कमश: केन्द्रांश रु० १८.०२ लाख व राज्यांश रु० १२.०१ लाख इस प्रकार कुल रु०-३०.०३ लाख (रुपये तीस लाख तीन हजार मात्र) प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। शासनादेश सं०-१७/२०१६/१०४८/३३-३-२०१५-१००(१९)/२०१५, दिनांक २२-०४-२०१६ के द्वारा रु०-१३३.१९ लाख तथा शासनादेश सं०-२३/२०१६/१४२९/३३-३-२०१६-१००(१९)/२०१५, दिनांक ०२-०६-२०१६ के द्वारा रु०-१२१.०२ लाख तथा शासनादेश संख्या-३७/२०१६/२१५५/३३-३-२०१६-१००(१९)/२०१५ दिनांक ०९ अगस्त, २०१६ के द्वारा रु०-५४.२३ लाख की धनराशि पूर्व में जारी की जा चुकी है। आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि में से अवशेष धनराशि रु०-३०.०३ लाख (रुपये तीस लाख तीन हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैः—

१—आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) के अनुभाग-१ के कार्यालय ज्ञाप सं०-१/२०१६/बी-१-७४६/दस-२०१६-२३१/२०१६ दिनांक २२ मार्च, २०१६ में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

२— उक्तानुसार आवंटित धनराशि/जनपदवार आवंटित केन्द्रांश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह आवंटित की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

३— उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

४—प्रश्नगत धनराशि टी०एस०पी० राज्यांश के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष उसी सीमा तक व्यय की जायेगी जिस सीमा तक एस०टी० लाभार्थियों हेतु एस०टी०पी० राज्यांश अनुमन्य होगा। केन्द्रांश प्राप्त हो जाने पर ही राज्यांश का आहरण/व्यय किया जायेगा।

५—इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त आवंटित की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनायें परीक्षण/सत्यापन हेतु लेखा एवं बजट अनुभाग को उपलब्ध करायी जाय।

६—भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुसार उक्त आवंटित धनराशि को यूनियन बैंक आफ इण्डिया, शाखा गोमती नगर, लखनऊ में उ०प्र० स्टेट सेनीटेशन मिशन

(SSM) के नाम से खोले गये खाता संख्या—521302010060034, आई०एफ०एस०सी० कोड यू०बी०आई०एन—०५५२१३५ में जमा किया जायेगा।

7—भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत प्रिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन व्यवस्था के अनुसार उक्त अवमुक्त धनराशि निर्धारित समयान्तर्गत जनपदों को अवमुक्त की जायेगी।

8—उक्त धनराशि का व्यय एस०सी०एस०पी०/टी०एस०पी० के लिये योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देश के अनुसार किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत मार्ग निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

9—उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या—81 के लेखाशीर्षक “2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—796—जनजाति क्षेत्र उपयोजना—02—स्वच्छ भारत प्रिशन (ग्रामीण)—0201—स्वच्छ शौचालय का निर्माण (जिला योजना) (को०६०/रा०४०—को०+रा०)—20—सहायता अनुदान—सामान्य (गैर वेतन)” के नामे डाला जायेगा।

10—शासकीय व्यय में भितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय भितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या—सी०१—९३४/दस—२००८—मि०—१/२००७ दिनांक ०२—०९—२००८ का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

11—आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी०एम०—४ पर बजट एवं लेखा अनुभाग को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

12—उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत विरत्त मार्ग निर्देशों एवं स्वच्छ भारत प्रिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।

13—उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगे।

14—धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ०प्र० इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या—137 पर अंकित है।

संलग्न—उक्तानुसार।

भवदीय,

(अनिल कुमार दमेले)  
निदेशक,  
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या:१/शा०/९३/१/२०१६ उक्तादिनांक]

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1— महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2— वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय ( लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, १५—१, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ०प्र०, इलाहाबाद—२११००१।
- 3— प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4— उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—२, उ०प्र० शासन।
- 5— मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6— बजट प्रकोष्ठ / कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 7— उप निदेशक(पं०)/योजना प्रभारी, पंचायती राज निदेशालय, उ०प्र०।
- 8— एस०पी०एम०य०० सेल, पंचायती राज निदेशालय, उ०प्र० को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

( केशव सिंह )

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,  
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

### Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-21/09/2016

प्रेषण संख्या:- 1-sha-93-2016-30-2016  
 आवंटन आदेश संख्या:- 004-30-2016  
 अनुदान संख्या:- 81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)  
 लेखाधीषक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनागत-मतदेय)  
 796 - जन जातीय क्षेत्र उपयोजना  
 02 - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)  
 01 - स्वच्छ शौचालय का निर्माण (जिला योजना)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	वर्तमान अनुदान -सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, 30प्र0 , लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	3003000 33847000 3003000 33847000
	योग	वर्तमान प्रगामी	3003000 33847000 3003000 33847000

महायोग- (वर्तमान  
आवंटन):- रुपया तीस लाख तीन हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रुपया तीन करोड़ अङ्गतीस लाख सेंतालीस हजार

  
(केशव सिंह)

मुख्य वित्त एवं लेखाधीकारी